पंजीकृत व्यक्ति जिसका मूल पंजीकरण प्रमाण–पत्र व मूल चतुर्थ चालान की प्रति गायब हो गया हो अथवा खो गया हो के लिए क्षतिपूर्ति बन्धनामा का प्रारूप (रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर)।

(नोटरी से सत्यापित)

समक्ष :आवास आयुक्त, उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊं।

मैं..... उम्र..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी..... ने उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद में ..... शहर के लिए पंजीकरण कराया था, जिसका पंजीकरण संख्या..... चालान संख्या ..... सन् ..... था और इस पंजीकरण हेतु मैंने रु. .....(शब्दों में रु. ....) जमा किया था। मेरा मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र /चतुर्थ मूल चालान प्रति खो गया है अथवा गायब हो गया है, अथवा चोरी हो गया है। मैंने इस तथ्य का शपथ–पत्र भी अलग से दाखिल किया है। उक्त तथ्य से अवगत होने के उपरान्त आवास एवं विकास परिषद ने मुबलिक रु. .....धनराशि मय मूल धन एवं ब्याज सहित वापस किया है, जिसको प्राप्त करने की रसीद मैंने अलग से प्रस्तुत कर दी है। इस सम्बन्ध में, मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मूल पंजीकरण प्रमाण–पत्र/चतुर्थ मूल चालान प्रति मुझे प्राप्त हो जाती है तो उसे उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद को लौटा दूँगा/दूँगी यदि किसी प्रकार गलती से इस धनराशि की वापसी के बावजूद कोई आवंटन हो जाए अथवा मेरे वारिसों द्वारा पुनः धन की वापसी की मांग की जाय तो मैं सम्पत्ति के निरस्तीकरण हेतु तत्काल सूचित करूँगा अथवा किसी भी क्लेम की दशा में मुबलिक रु. ..... तथा भविष्य में इस पर आए ब्याज व खर्च को वापस कर दूँगा। किसी भी अन्य दशा में परिषद को उक्त धनराशि मेरे बाद जायदाद/वारिसों से वसूल करने का पूरा अधिकार होगा।

यह क्षतिपूर्ति बन्धनामा आज दिनांक ..... को स्थान ..... में निष्पादित किया गया।

साक्षी का हस्ताक्षर

क्षतिपूर्ति बन्धनामाकर्ता

पता :